

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 55/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
नेमाराम पुत्र मेघाराम जाति प्रजापत निवासी हरसोलाव तहसील मेडता जिला नागौर।		1 सम्पतराज पुत्र रामेश्वरलाल जाति ब्राह्मण 2 कमलादेवी पत्नी सम्पतराज जाति ब्राह्मण 3 सोनीदेवी पत्नी जबरचंद जाति कांकरिया ओसवाल निवासीगण हरसोलाव तहसील मेडता। 4 ग्राम पंचायत हरसोलाव जरिये सरपंच मेडता जिला नागौर।

उपस्थिति—

- 1 श्री श्याम कुमार व्यास अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से
- 2 श्री विक्रम जोशी, अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से।
- 3 श्री अशोक कुमार वैष्णव अधिवक्ता, अप्रार्थी 04 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय

दिनांक 12.07.2023

1— प्रकरण इस प्रकार है कि प्रस्तुत निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हरसोलाव द्वारा प्रस्ताव संख्या 01/17 दिनांक 20.05.17 मिसल संख्या 33/2017-18 में जारी पट्टा संख्या 1886 आदेश दिनांक 29.05.17, से असंतुष्ट होकर दिनांक 21.06.19 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 24.06.19 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से विक्रम जोशी अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 04 की ओर से श्री अशोक कुमार वैष्णव ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 03 बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रही। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में पट्टा संख्या 1886 की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत हरसोलाव के पत्र दिनांक 30.04.19 की फोटोप्रति, नकल आवेदन दिनांक 13.05.19 की फोटोप्रति, पंचायत समिति मेडता के पत्र दिनांक 16.05.19 की फोटोप्रति, जिला कलक्टर महोदय नागौर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.05.19 की फोटोप्रति, फोटोग्राफ-3, पट्टा दिनांक 28.03.47 की फोटोप्रति, पट्टा दिनांक 17.07.81 के हिन्दी अनुवाद के नकल की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत हरसोलाव के निर्णय दिनांक 27.03.90 की फोटोप्रति, वकील अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट मेडता के अनवान सम्पतराज बनाम नेमाराम के फर्डअहकाम 09.04.19 से 19.04.19 तक की फोटोप्रति, न्यायालय सिविल न्यायाधीश मेडता में प्रस्तुत दावे की फोटोप्रति, मौका रिपोर्ट की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का रेकॉर्ड मंगाया गया।

2— उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि -

2(1)— निगरानीधीन प्रस्ताव/आदेश विधि के प्रतिपादित सिद्धांतों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सबूतों एवं मौके की स्थिति से भिन्न पारित किया गया होने से काबिल निरस्त किए जाने योग्य है।

2(2)— अप्रार्थी संख्या 04 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पक्ष में पारित पट्टा प्रस्ताव/आदेश पंचायत अधिनियम में वर्णित आज्ञापक प्रावधानों की बिना पालना किए पारित किया गया होने से काबिल निरस्त किए जाने योग्य है।

2(3)—निगरानीकर्ता व अप्रार्थी संख्या 03 के स्वामित्व की एक जायगा मय मकानात ग्राम हरसोलाव तहसील मेडता में स्थित है पेश किये गये नजरी नक्शा अनुसार अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के हक में जिस भूमि बाबत पट्टा प्रस्ताव परित किया है उस पट्टे में दर्शित नक्शे में उत्तरी तरफ आम रास्ता व दरवाजे गलत रूप से अंकित कर दिये जबकि उत्तरी तरफ निगरानीकर्ता एवं अप्रार्थी संख्या 3 के स्वामित्व की जायगा है और उक्त जायगा केवल मात्र निगरानीकर्ता एवं अप्रार्थी संख्या 3 के निजी उपयोग व उपभोग की जायगा है। इस कारण निगरानीकर्ता के हित पूर्णतया प्रभावित होने से अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में पारित पट्टा प्रस्ताव व पट्टा को निरस्त किए जाने हेतु उक्त निगरानी प्रस्तुत की गई।

2(4)— मौके पर तीन अलग अलग भाग नहीं किए हुवे हैं। उक्त मकान व बाड़ा मार्क ए बी सी का मुख्य निकाल पश्चिम दिशा में आम सडक की ओर था व आज भी है। उक्त पश्चिम दिशा के अलावा अप्रार्थी संख्या 1 के मकान का अन्य किसी दिशा में कभी भी कोई निकाल, रास्ता, खिडकी आदि नहीं रहे। किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या 4 से मिलावट कर उत्तर दिशा की ओर रास्ता व दरवाजे बताते हुवे गलत रूप से पट्टा प्रस्ताव पारित करवाकर पट्टा जारी करवा लिये। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 के उक्त मकान में उत्तरी दिशा में निगरानीकर्ता व अप्रार्थी संख्या 3 की निजी जायगा है। जिस जायगा में खुलते हुवे दरवाजे बाबत प्रस्ताव लेने का



अपर कलक्टर, नागौर

अप्रार्थी संख्या 4 को कोई विधित अधिकार नहीं था। इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 4 ने अवैध व विधिविरुद्ध ढंग से जो प्रस्ताव/आदेश पारित किया है वह निरस्त किए जाने योग्य है।

2(5)- अप्रार्थी संख्या 4 ने राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 व अधिनियम 1996 के तहत विधित प्रावधानों की पालना किए बगैर सम्पूर्ण कार्यवाही की है। इस कारण भी निगरानीधीन प्रस्ताव/आदेश काबिल निरस्त किए जाने योग्य है।

2(6)-अप्रार्थी संख्या 4 ने एक ही मकान के तीन अलग अलग टुकड़ों में एक ही परिवार के नाम तीन अलग अलग पट्टे जारी कर दिए जो विधि अनुसार जारी नहीं किए जा सकते, क्योंकि मौके पर आज भी अप्रार्थी संख्या 1 का मकान तीन टुकड़ों में न होकर पूरा एक बना हुआ है। किन्तु फिर भी अप्रार्थी संख्या 4 ने एक ही परिवार के अलग अलग सदस्यों के नाम तीन अलग अलग पट्टे अवैध एवं विधि विरुद्ध ढंग से जारी कर दिए, जो पट्टा प्रस्ताव/आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

2(7)-अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही अवैध एवं विधि विरुद्ध ढंग से बिना आज्ञाप्ति विज्ञाप्ति जारी किये, बिना मौके पर आकर मौका निरीक्षण किये एवं सार्वजनिक रूप से बिना कोई सूचना प्रकाशिक करवाये मात्र पंचायत कार्यालय में बैठकर खानापूति करते हुवे अवैध व विधि विरुद्ध ढंग से निगरानीधीन प्रस्ताव/आदेश दिनांक 29.05.17 पारित कर दिया। जिसकी जानकारी होने पर निगरानीकर्ता ने दिनांक 11.04.19 ग्राम पंचायत में उक्त पट्टे व सम्पूर्ण पत्रावली की नकल हेतु आवेदन किया किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकर्ता को नकल नहीं दी गई। तत्पश्चात् सूचना के अधिकार के तहत भी ग्राम सेवक को आवेदन किया गया लेकिन उसके बावजूद भी नकल नहीं दिए जाने पर निगरानीकर्ता ने जिला कलक्टर नागौर एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति मेडता के समक्ष भी नकले दिलाने हेतु आवेदन पेश किए इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या 4 ने निगरानीकर्ता को पट्टा मिसल व पट्टे की प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं कराई है।


2(8)- अप्रार्थी संख्या 04 ने पति पत्नी को अलग अलग कब्जा मानकर अलग पट्टा जारी किया जो विधिक रूप से गलत है, आपत्ति आमंत्रण एक माह के लिये जारी किया लेकिन अवधि पूरी होने से पहले ही पट्टा जारी कर दिया, दो गवाह का विवरण भी पूर्ण नहीं है तथा वह कहाँ के है, किसकी तरफ से चस्पानगी की गई, स्पष्ट नहीं है।

3- अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि उक्त जायगा पर हम अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का पीढियों से कब्जा है, उक्त पट्टा रास्ते पर जारी नहीं किया गया है। उक्त पट्टा राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की पालना करके जारी किया गया है, जिससे निगरानी आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

4- पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत हरसोलाव द्वारा प्रस्ताव संख्या 01/17 दिनांक 20.05.17 मिसल संख्या 33/2017-18 में जारी पट्टा संख्या 1886 आदेश दिनांक 29.05.17, को निरस्त किये जाने को लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। पट्टा पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व विधिवत् प्रस्ताव लिया गया, पट्टा जारी करने से पूर्व वार्ड पंचों की कमेटी गठित कर निरीक्षण रिपोर्ट लिया जाना प्रतीत होता है तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 157 (ख) के अनुसार 200/- जमा कर पट्टा जारी करने का विनिश्चय किया गया है तथा पत्रावली का भी निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संधारण किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही पट्टा जारी किया जाना प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

5- उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

6- निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर